प्रेषक,

जितेन्द्र मिश्रा(उच्चतर न्यायिक सेवा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)
कक्ष संख्या–04, मीरजापुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:– मा0 जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

विषय:– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या–ओ 3143/2–बी–1968 लखनऊ, 11 दिसम्बर, 1968 के प्रावधानानुसार घोषणा।

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा HANDBOOK ON LOCAL LAWS IN UTTAR PRADESH" शीर्षक की अंग्रेजी भाषा में पुस्तक प्रकाशित कराये जाने की अनुमति पर न्यायिक अधिकारियों के पोर्टल पर इस आशय की आपत्ति प्राप्त हुई है कि मेरे द्वारा सन्दर्भित शासनादेश के तहत बिन्दुवार घोषणा की जाये तथा उक्त पुस्तक को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक का नाम पता और रायल्टी की शर्तों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाये।

उपरोक्त के आलोक में निम्नलिखित घोषणा तथा वांछित सूचनाएं निम्नवत हैं:–

1. मेरी प्रस्तावित पुस्तक पर सरकार, की मुद्रणानुज्ञप्ति अंकित नहीं होगी।
2. मेरी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर मेरा (लेखक का) नाम दिया जायेगा, पर उसके साथ मेरा सरकारी पद नाम नहीं दिया जायेगा। किन्तु पुस्तक के बहिरावरण पर जिसमें जनता को लेखक का परिचय दिया जाता है, उसमें मेरा सरकारी पद नाम दिया जा सकता है, जैसा कि उपर्युक्त शासनादेश में प्रावधानित है।
3. मेरी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर मेरे नाम से यह उल्लेख कर दिया जायेगा कि पुस्तक में वर्णित लेखक के विचारों और टीका टिप्पणियों की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और पुस्तक के प्रकाशन से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।
4. मेरे द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुस्तक में तथ्य अथवा मत सम्बन्धी कोई ऐसा कथन नहीं है, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकूल आलोचना की गयी हो।
5. मेरी पुस्तक, मेरे द्वारा अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गयी है, किन्तु यह सरकारी नियमों, विनियमों और अथवा कार्यविधियों का संग्रह मात्र नहीं है, परन्तु सम्बन्धित विषय पर मेरे अध्ययन को प्रकट करती है।
6. मेरी पुस्तक के प्रकाशक आबकारी टाइम्स 485 मंमफोर्डगंज इलाहाबाद 211002 होगें तथा इनके द्वारा उक्त पुस्तक पर कान्टिनिवस बेसिस पर रायल्टी देने की सहमति व्यक्त की गयी है(प्रकाशक के पत्र दिनांकित 17.03.2023 की प्रति संलग्न है)।

अतएव माननीय महोदय से निवेदन है कि उपर्युक्त पुस्तक को प्रकाशित कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

सादर!

दिनांक–22–03–2023

भवदीय,
22/03/2023
(जितेन्द्र मिश्रा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)
कक्ष संख्या–04, मीरजापुर।
आई.डी.नं.–यू.पी.–6300